जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY
खगड़िया/KHAGARIA - 851 204
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737
e-mail : dhskhag1@gmail.com
datacentrekhag@gmail.com

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005–2012) — बिहार सरकार

पत्रांक- 334 दिनांक 19/03/14

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 336(12) पटना दिनांक 02.04.2012 के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्क्षता में ''जिला त्मबाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobbaco Control Coordination Committee (DTCCC)** का गठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया :– अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, खगड़िया :– सदस्य
3. उप विकास आयुक्त, खगड़िया :– सदस्य
4. सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया :– सदस्य सचिव
5. विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खगड़िया :– सदस्य सह समन्वयक
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया :– सदस्य
7. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया :– सदस्य
8. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया :– सदस्य
9. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया :– सदस्य
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया :– सदस्य
11. जिला खाद्य/औषधि नियंत्रक, खगड़िया :– सदस्य
12. प्राचार्य, कोशी क़ॉलेज, खगड़िया :– सदस्य
13. सचिव, रेडक्रॉस सोसायटी, खगड़िया :– सदस्य
14. प्रतिनिधि, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (SEEDS), पटना :– सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है :–

- COTPA 2003 को पूरे जिला में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने एवं मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो, ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- सभी प्रखंडों की अनुश्रवण/रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।

- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी ढ़ंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फैसला किया गया है।
- तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखंड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा–4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना तथा जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सदस्यों की त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

Sd/–

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :– 334 **दिनांक :–** 19/03/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

13/03/14

12/03/14

जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY

खगड़िया/KHAGARIA - 851 204

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737

e-mail : dhskhag1@gmail.com
datacentrekhag@gmail.com

बिहार सरकार

पत्रांक- 335

दिनांक 19/03/14

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनीटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

<u>जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे</u> :–

1. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)	:–	अध्यक्ष
2. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, खगड़िया	:–	सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी	:–	सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	:–	सदस्य
5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS)	:–	सदस्य
6. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	:–	सदस्य
7. औषधि निरीक्षक	:–	सदस्य
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी	:–	सदस्य
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DHS)	:–	सदस्य
10. श्रम अधीक्षक, खगड़िया	:–	सदस्य
11. संबंधित थानाध्यक्ष	:–	सदस्य
12. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)	:–	समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण **इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे।** साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

sd—

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :– 335 दिनांक :– 19/03/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

13/03/14
12/3/14

जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY
खगड़िया/KHAGARIA - 851 204
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737
e-mail : dhskhag1@gmail.com
datacentrekhag@gmail.com

बिहार सरकार

पत्रांक- 336 दिनांक 19/03/14

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनीटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

<u>अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे</u> :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी :– अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी :– सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी :– सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी :– सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदा0, अनुमंडल मुख्यालय :– सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी :– सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष :– सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कों उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवाएँ ले सकेंगे।

sd –

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :– 336 दिनांक :– 19/03/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क

पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY
खगड़िया/KHAGARIA - 851 204
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737
e-mail : dhskhag1@gmail.com
datacentrekhag@gmail.com

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012)

बिहार सरकार

पत्रांक- 337 दिनांक 19/03/14

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनीटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	:–	अध्यक्ष
2.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	:–	समन्वयक सदस्य
3.	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	:–	सदस्य
4.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	:–	सदस्य
5.	श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	:–	सदस्य
6.	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	:–	सदस्य
7.	संबंधित थानाध्यक्ष	:–	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य

sd—

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :— 337 दिनांक :— 19/02/14

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :— आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

12/3/14

जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY
खगड़िया/KHAGARIA - 851 204
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758
दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737
e-mail : dhskhag1@gmail.com
datacentrekhag@gmail.com

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग
(2005-2012)

बिहार सरकार

पत्रांक- 338

दिनांक 19/03/14

आदेश

खगड़िया जिले के कई स्थानों पर तम्बाकू उत्पाद यथा– सिगरेट, बीड़ी, पान मशाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तम्बाकू उत्पाद यथा– सिगरेट, बीड़ी, पान मशाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं खगड़िया जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक माह के अंदर सूचित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

sd—

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :– 338 दिनांक :– 19/03/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY

खगड़िया/KHAGARIA - 851 204

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737

e-mail : dhskhag1@gmail.com

datacentrekhag@gmail.com

पत्रांक- 339 दिनांक 19/03/14

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया एवं सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढ़ावा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/– तक जुर्माना किया जा सकता है। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

धुम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है।

उल्लंघन करने पर 200/– रूपये तक जुर्माना किया जाएगा।

अगर आपको कोई भी व्यक्ति धुम्रपान करते दिखाई देता है तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत करें।

1. श्री/श्रीमती ....
2. पदनाम ....
3. फोन/मोबाईल नं0 ....

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध को बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में

उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रृटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

sd—

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :– 339 दिनांक :– 19/03/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/14

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

19/3/14

Sd
19/3/14

जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY

खगड़िया/KHAGARIA - 851 204

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737

e-mail : dhskhag1@gmail.com
datacentrekhag@gmail.com

पत्रांक- 340 दिनांक 19/03/14

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्था के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादन को बेचने वाले पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दूष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने का निदेश दिया गया है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/– रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

शिक्षण संस्थानों के अधिकारी का नाम :–
शिक्षक संस्थान का नाम :–

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। **आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।** साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंख्ण पर प्रभात–फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

sd —

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :– 340 दिनांक :– 19/03/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

81
12/3/14

जिला स्वास्थ्य समिति
DISTRICT HEALTH SOCIETY

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन / NATIONAL RURAL HEALTH MISSION (2005-2012)

खगड़िया/KHAGARIA - 851 204

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-223758

दूरभाष-फैक्स सं0/Tele-Fax No.- 06244-222737

e-mail : dhskhag1@gmail.com

datacentrekhag@gmail.com

बिहार सरकार

पत्रांक- 341 दिनांक 19/03/14

आदेश

तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.02.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6A) के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद को बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद का सेवन करना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद को बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार से है :-

> **अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को**
> **तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है।**

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी एवं सिगरेट एवं गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मशाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

sd—

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया

ज्ञापांक :- 341 दिनांक :- 19/03/14

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/गोगरी/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वयक समिति, खगड़िया/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदा0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0,

एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खगड़िया